न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– नेहा गिरि, आई.ए.एस. कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रैट

मुकदमा नम्बर :– 92/2018 (आर.सी.एम.एस.नम्बर 2018/00155)

1. राजस्थान सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी धौलपुर ———————— प्रार्थी।

बनाम

1. मैसर्स मित्तल मिष्ठान भण्डार सीताराम बाजार बाडी प्रोपराइटर पदमचन्द्र पुत्र नेमीचन्द जाति वैश्य निवासी गांधीपाडा तहसील बाडी. व जिला धौलपुर—अप्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए
आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थिति : –

1. प्रार्थी की ओर से :– दिव्या कमठान सहायक लोक अभियोजक (प्रथम)

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

निर्णय दिनांक 24.5..2019

निर्णय

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत किया है कि दिनांक 3.11.2018 को जिला कलक्टर धौलपुर के आदेशों की अनुपालना में जिला रसद अधिकारी व हरविन्द्र शर्मा प्रवर्तन निरीक्षक समीक्षा दिनकर प्रवर्तन निरीक्षक, सुवोध कुमार प्रवर्तन निरीक्षक घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक कार्य में उपयोग कर गैस के दुरूपयोग किये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर मैसर्स मित्तल मिष्ठान भण्डार सीताराम बाजार बाडी के यहाँ पहुँचे। मौके पर अप्रार्थी उपस्थित मिले। जिनकी उपस्थिति में अप्रार्थी दुकान में घेरलू गैस की जॉच की गयी। दुकान में मौके पर 1 गैस सिलेण्डर इण्डेन, आई ओ सी एल कम्पनी के एस. आर. नम्बर कमशः 334222 पाये गये। घरेलू गैस सिलेण्डर अप्रार्थी दुकान में रखे पाये । मौके पर अप्रार्थी से घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक कार्य में लेने बावत पूछताछ की गयी । पूछताछ पर अप्रार्थी द्वारा संतोषजनक जबाव नहीं दिया गया। घरेलू गैस कनेक्शन से सम्बन्धित अन्य कोई दस्तावेज एवं रिकोर्ड मॉगने पर भी प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक कार्य में उपयोग किये जाने पर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) ओदश 2000 के खण्ड 3 व 7 का उल्लघंन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 1 घरेलू गैस सिलेण्डर आई. ओ. सी. एल. का

नेहा गिरि
जिला कलक्टर धौलपुर

तौल सॉल्टर मशीन से शम्भू गैस सर्विस बाडी जिला धौलपुर के निन्नोलाल पुत्र वेदीराम को बुलवाकर करवाया गया तथा 1 गैस सिलेण्डरों को मय गैस के अप्रार्थी के कब्जे से जब्त सरकार किया जाकर सुरक्षा की दृष्टि से 1 गैस सिलेण्डर को मय गैस 13.300 किलोग्राम शम्भू गैस सर्विस बाडी के कार्यकर्ता निन्नोलाल को सुपुर्दगी में दिया गया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जब्त 1 गैस सिलेण्डर घरेलू मय गैस 13.300 किलोग्राम को राजसात करने के आदेश दिये जावे ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस इस आशय का जारी किया गया कि उसे इस नोटिस के समबन्ध में कोई आपत्ति हो तो असालतन व वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर उज्रदारी पेश करें ।

अप्रार्थी दिनांक 18.3.2019 को स्वंय उपस्थित हुआ इसके पश्चात् दिनांक 8.4.2019, 23.4.2019, 29.4.2019 20.5.2019 एवं 21.5.2019 को कई बार आवाज दिलवाई गई अप्रार्थी न तो स्वंय उपस्थित नहीं हुआ ना ही अप्रार्थी की ओर से काई अभिभाषक उपस्थित हुऐ। दिनांक 21.5.2019 को अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये गये।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में मौका फर्द की प्रमाणित प्रति, फर्द अधिग्रहण, सुपुर्दगीनामा की प्रति पेश की ।

प्रार्थी के विद्धान अभिभाषक सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी की बहस सुनी गई। विद्धान सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वक्त निरीक्षण अप्रार्थी की दुकान में 1 घरेलू गैस सिलेण्डर पाया गया जिसका उपयोग अप्रार्थी व्यवसायिक कार्य में कर रहा था । जब अप्रार्थी से उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर के सम्बन्ध में पूछताछ की गई तो अप्रार्थी कोई संतोषजनक जबाव नहीं दे सका ना ही कोई दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत कर सका । इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) ओदश 2000 के उपबन्धों का उल्लंघन किया गया है। उक्त आदेश के उल्लघंन पाये जाने पर 1 गैस सिलेण्डर (मय गैस 13.300 कि.ग्रा.) जो मौके पर जब्त सरकार किये गये है को राजसात किये जाने के आदेश दिये जावे।

प्रार्थी के विद्धान अभिभाषक सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की दुकान का निरीक्षण किया । मौके पर दुकान में 1 घेरलू गैस सिलेण्डर मय गैस 13.300 किलोग्राम पाया गया। दौराने पूछताछ एवं जाँच अप्रार्थी कोई संतोषजनक जबाव नहीं दे सका ना ही कोई दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत किये व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर घरेलू गैस सिलेण्डर का मिलना यह सिद्ध करता है कि अप्रार्थी द्वारा व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थी का यह कृत्य द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के उपबन्धों का उल्लंघन है। अप्रार्थी द्वारा एल पी जी गैस वितरण एवं विनियमन

पीठासीन अधिकारी
जिला कलक्टर धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

आदेश 2000 की धारा 3 (1) (ई) 6–7 का उल्लघंन होना सिद्ध पाया जाता है। यदि अप्रार्थी द्वारा किये गये इस कृत्य को नहीं रोका गया तो अन्य व्यक्ति भी इस प्रकार के अवैध कृत्य करने का साहस करेगें। जो कानूनन सही नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जप्त शुदा माल 1 घरेलू गैस सिलेण्डर (मय गैस 13.300 कि.ग्राम) को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

खाद्य विभाग जयपुर से प्राप्त परिपत्र दिनांक 19.8.2000 एवं 20.10.2000 के अनुसार 6 ए के तहत न्यायालय द्वारा राजसात किये गये वे सभी गैस सिलेण्डर/रेग्यूलेटर जो जब्त पडे हैं तथा उनका निस्तारण नहीं हुआ है तथा जिनका पुनः उपयोग बिना ऑयल कम्पनी की सहमति एवं निरीक्षण के करना सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं हैं। ऐसे सभी सिलेण्डर/रेग्यूलेटर जो जब्त या राजसात किये गये हैं को सुरक्षा कारणों से निस्तारण हेतु ऑयल कम्पनी को वापस लौटा दिया जावे। गैस सिलेण्डर/रेग्यूलेटर ऑयल कम्पनी की सम्पत्ति है इसे खुले बाजार में नीलामी में नहीं बेचा जा सकता। न्यायालय के निर्णय उपरान्त निस्तारण की दृष्टि से जो भी उपाय होते हैं, वह सम्बन्धित ऑयल कम्पनी ही करेगी। इस हेतु ऑयल कम्पनी से कोई राशि वसूल नहीं की जानी है। परन्तु ऑयल कम्पनी को उक्त सिलेण्डर से जो धन राशि प्राप्त होगी वह धनराशि ऑयल कम्पनी राजकोष में जमा करायेगी। जिला रसद अधिकारी धौलपुर को आदेश दिये जाते है कि वह जब्त शुदा माल का नियमानुसार निस्तारण करावे। निर्णय की प्रतिलिपि वास्ते पालना जिला रसद अधिकारी धौलपुर को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो । बाद तकमील दाखिल दफतर हो। नम्बर से कम की जावे ।

निर्णय आज दिनांक 24.5.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

(नेहा गिरि)
जिला कलेक्टर, धौलपुर
जिला कलक्टर धौलपुर